अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–95/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा–अमृतपुर, थाना संख्या–280 खाता संख्या–212 दाग संख्या 00 रकवा 03–06–11 धूर भूमि का पंजी–II रैयत के वंशज संतोष कुमार राय द्वारा लगान रसीद समर्पित किया गया है। लगभग 62 वर्षो से शांतिपूर्ण दखल भोग है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दाग की भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित कार्यवाही को स्थगित करने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा–अमृतपुर, थाना संख्या–280 खाता संख्या–212 दाग संख्या 00 रकवा 03–06–11 धूर भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–95/16–17 को संस्थित/बन्द किया जाता है। अंचल अधिकारी महेशपुर अंचल अधिकारी महेशपुर नोटः–तकनीकी भूलवश यह वाद Transfer हो गया था जबकि यह Allow होना है। अतः इस वाद को Allow किया जाता है।	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.08 11:13:33 +05:30
Location: 192.168.0.100

Scanned with CamScanner